रजिस्ट्री सं० डी० 222 II - 3 - (i) सितम्बर
REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20, 1969/भाद्र 29, 1891
No 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20, 1969/BHADRA 29, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 27 अगस्त, 1969 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 27th August, 1969:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
145	G.S.R. 2054, dated 23rd August, 1969	Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation.	The Madhya Pradesh Rice (Movement Control) Amendment Order, 1969.
146	G.S.R. 2055, dated 25th, August, 1969.	Ministry of Finance	Exempting articles of glass and procelain when imported into India, from the additional duty leviable thereon.
147	G.S.R. 2056, dated 25th August, 1969.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.	Further amendment in the notification No G.S.R. 37, dated the 2nd January. 1965.
148	G.S.R. 2093, dated 26th August, 1969	Ministry of External Affairs.	The extradition treaty between India and Bhutan.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर 1969

जी०एस०आर० 2251:— संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियम 1963, में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

(1) इन नियमों को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (प्रथम और द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1969 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

(3) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची के सूची में, शीर्षक "अनिवार्य" के अन्तर्गत कालम 7 में "मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर्स डिग्री अथवा समकक्ष मास्टर्स डिग्री" के शब्दों के स्थान पर जहां कहीं ऐसे शब्द आये "मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर्स डिग्री अथवा उसमें समकक्ष डिग्री" शब्द लिखे जायें।

[एफ० 3–27/69–सी०ए० I(5)]
ए० एस० तलवार,
अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi the 2nd September 1969

G.S.R. 2252.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964:—

(a) against serial No. 31 relating to the post of Junior orderly Officer, in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Caretaker with three years service in the scale of Rs. 150—10—250—EB—10—290—15—335—EB—15—380 in the Directorate General, All India Radio";

(b) against Serial No. 39 relating to the post of Caretaker, in column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"(i) Rs. 150—10—250—EB—10—290—15—335—EB—15—380 (for Caretaker in the Directorate General, All India Radio)".

(ii) Rs. 150—10—250 (for Caretaker in the Subordinate Offices of All India Radio)".

(c) against Serial No. 69 relating to the post of Indexer, in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"By promoting a Clerk Grade II/Teleprinter Operator with three years' service working in offices located in the States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and the Union Territories of Chandigarh and Himachal Pradesh who possess the following qualifications:—

Essential:

(i) Intermediate of a recognised University.

(ii) Good handwriting

Desirable:

Knowledge of library and indexing work".

[No. 7/8/66-B(A).]

G.S.R. 2253.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 24, dated the 23rd December, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, against Serial No. 11, in column 12, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:—

Transfer on deputation:

Officers belonging to Grade I of the Indian Economic Service or the Indian Statistical Service, failing which, officer belonging to Grade II of the Indian Economic Service or the Indian Statistical Service, with at least three years service in the grade. (Period of deputation—ordinarily not exceeding four years).

[No. 11/5/65-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1969

जी० एस० आर० 2254:— संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1964 के परिशिष्ट में:—

(क) क्रमांक 31 के सम्मुख जूनियर अर्दली अधिकारी से सम्बन्धित पद के सामने कालम 13 में वर्तमान प्रविष्टियों के बदले निम्नलिखित प्रविष्टयां रखी जाएं:—

"आकाशवाणी महानिदेशालय में 150—10—250—द० अ०—10—290—15—335 द० अ० —15—380 रुपये के वेतनमान में केयरटेकर के पद पर तीन वर्ष की सेवा।

(ख) केयरटेकर से सम्बन्धित पद क्रमांक 39 के सामने कालम 4 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं:–

"(1) 150–10–250–द० अ०–10–290–15–335–द० अ०–15–380 रुपये (आकाशवाणी महानिदेशालय में केयरटेकर)

(2) 150–10–250 रुपये (आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालय में केयरटेकर के लिये)"

(ग) इण्डेक्सर के पद से सम्बन्धित, क्रमांक 59 के सामने कालम 13 में वर्तमान प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

"निम्नलिखित अर्हतायें रखने वाले लिपिक ग्रेड 2/टेलीप्रिन्टर आपरेटर, जिनकी पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में स्थित कार्यालयों में 3 वर्ष की सेवा हो, को पदोन्नत करके:

आवश्यक :–

(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इन्टरमीडियेट।

(2) अच्छी लिखाई।

वांछनीय :–

पुस्तकालय तथा इण्डेक्स के काम का ज्ञान"।

[फाइल संख्या 7/8/66–बी (ए)]

जी० एस० आर० 2255:— संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधीसूचना संख्या जी० एस० आर० 24, तारीख 23 दिसम्बर, 1963 में प्रकाशित आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1963 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 11 के सम्मुख कालम 12 में वर्तमान प्रविष्टियों के सामने निम्न प्रविष्टियां रखी जाएं:–

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित

भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा से सम्बन्धित ग्रेड I के अधिकारी, उनके न होने पर भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा से सम्बन्धित ग्रेड 2 के ऐसे अधिकारी जिनको अपने ग्रेड में तीन वर्ष का अनुभव हो, (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं)।

[फाइल संख्या 11/5/65 बी० (ए)]

ए० वि० नारायणन,
अवर सचिव, भारत सरकार।